न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 119 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. नंदराम पुत्र तेजाराम
2. दमाराम पुत्र मुकनाराम
3. मु.लेहरो बेवा मुकनाराम

जाति जाट निवासी पनावास (उण्डू) हाल निवासी खुमानियों की ढाणी(सवाऊ पदमसिंह) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.देराजराम पुत्र देवाराम
2.मु.चूनी बेवा श्रीराम
3.पीराराम पुत्र श्रीराम
4.बालसिंह पुत्र भैराराम
5.लूम्भाराम पुत्र भेराराम
6.वीरमाराम पुत्र भेराराम
7.रामूराम पुत्र भेराराम का.मु.
7/1भेराराम पुत्र स्व. रामूराम
7/2दीपाराम पुत्र स्व. रामूराम जाति जाट निवासी पनावास (उण्डू) तहसील शिव जिला बाड़मेर।
8.जाकिन हुसैन पुत्र अलाबक्स जाति तेली निवासी देचू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
9.राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनराज जाति ब्राहमण निवासी सेतरावा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
10.मोहम्मद उमर पुत्र नबीबक्स जाति तेली निवासी तेलियो का वास, बाड़मेर
11.शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू
12.प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक, बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 135/2010 बअनवान नन्दराम बनाम देराजराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 23.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस तथा उतरदातागण संख्या 01 से 06 स्व. सायबाराम के वारीसान है तथा हिन्दू विधि से शासित है। स्व. सायबाराम की खातेदारी भूमि तहसील शिव के अविभाजित ग्राम उण्डू में खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 628 रकबा 175.17 बीघा तथा तहसील बायतु के ग्राम सवाऊ पदमसिंह में खसरा संख्या 280, 281 व 581 समस्त रकबा 307.19 बीघा आये थे। स्व. सायबाराम हिन्दू विधि से शासित होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानों अनुसार उसकी मृत्यु के क्षण उत्तराधिकार विधि अनुसार स्व. सायबाराम की खातेदारी जो में उसके चारों पुत्रों के बराबर–बराबर खातेदारी अधिकार पैदा हो गये। स्व. सायबाराम के देहान्त पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 26 मौजा सवाऊ पदमसिंह उसके चारों पुत्रों के नाम खोला गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.06.1961 को स्वीकृत हुआ परन्तु अपीलाधीन आराजी मोजा उण्डू का नामान्तकरण संख्या 28 मृतक साबयाराम के दो पुत्रों श्रीराम व देवाराम के नाम खोला गया। अपीलांट स्व. तेजाराम पुत्र सायबाराम के वारीसान है अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 628 रकबा 175.17 बीघा में अपनी खातेदारी हिस्सा 1/4 घोषित करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक संशयप्रद अपंजीबद्ध इकरारनामा के आधार पर मान ली है इस इकरारनामा की प्रति जबाव दावा के साथ जब पेश हुई थी तब नोटेरी से प्रमाणित नहीं थी और इस तथ्य को स्वयं उतरदाता संख्या 01 अपनी साक्षी में स्वीकार करता है फिर उसके स्थान पर नोटेरी की तस्दीक सुदा प्रति पत्रावली पर आना संदेह का विषय बन जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इसकी जांच किये इस फोटो प्रति के आधार पर आराजी पूर्व में विभाजित होना मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। स्व. सायबाराम हिन्दू विधि से शासित होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानों अनुसार उसकी मृत्यु के क्षण उत्तराधिकार विधि अनुसार स्व. सायबाराम की खातेदारी जो में उसके चारों पुत्रों के बराबर–बराबर खातेदारी अधिकार पैदा हो गये। स्व. सायबाराम के देहान्त पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 26 मौजा सवाऊ पदमसिंह उसके चारों पुत्रों के नाम खोला गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.06.1961 को स्वीकृत हुआ परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन आराजी मोजा उण्डू का नामान्तकरण संख्या 28 मृतक साबयाराम के दो पुत्रों श्रीराम व देवाराम के नाम खोला गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक संशयप्रद अपंजीबद्ध इकरारनामा के आधार पर मान ली है इस इकरारनामा की प्रति जबाव दावा के साथ जब पेश हुई थी तब नोटेरी से प्रमाणित नहीं थी और इस तथ्य को स्वयं उतरदाता संख्या 01 अपनी साक्षी में स्वीकार करता है फिर उसके स्थान पर नोटेरी की तस्दीक सुदा प्रति पत्रावली पर आना संदेह का विषय बन जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इसकी जांच किये इस फोटो प्रति के आधार पर आराजी पूर्व में विभाजित होना मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। ईकरारनामे में भूमि के बदले भूमि दी गई हो इस बात का हवाला नहीं दिया गया है। ईकरारनामे से 100 रू से अधिक की सम्पति का स्थानान्तण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2012 को पारित किया गया तथा दिनांक 13.01.2012 को संपूर्ण भूमि का विक्रय करने तथा 15.01.2012 को नामान्तकरण भरा जाना इस सारी प्रक्रिया में दुभार्वना की गंध आ रही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखि न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1982 Page 299
RRD 1982 Page 111
RRD 1995 Page 73
RRT 2001(1) Page 350
RRT 2006(1) Page 285
RRT 2008(1) Page 154
RRT 2009-10(Supp.) Page 61
RRT 2011(2) Page 1253
RRT 2011(2) Page 819
RRT 2012(1) Page 223
RRT 2012(1) Page 46
RRT 2013(2) Page 766
RRT 2013(2) Page 1164
RRT 2014(2) Page 1311
RRT 2014(1) Page 333
RRT 2015(1) Page 540
RJT 2016(1) Page 51
RRT 2016(2) Page 442

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम पनावास (उण्डू) के खसरा संख्या 628 रकबा 175.17 बीघा भूमि सायबाराम के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। स्व. सायबाराम की मृत्यु होने पर फोतेदगी का नामांतकरण संख्या 26 दिनांक 12.06.1961 को स्वीकृत होकर उसके चारों पुत्रों के नाम भरा गया। मौजा उण्डू का नामांतकरण संख्या 28 मृतक सायबाराम के दो पुत्र श्रीराम व देवाराम के नाम स्वीकृत किया गया है। मौजा सवाऊ पदमसिंह में भी स्व. सायबाराम की भूमि थी जिसमें देराजराम का 1/4 हिस्सा था जो उपरोक्त भूमि अपीलांट को बेच दी। ईकरारनामा व रजिस्ट्री एक ही दिन निष्पादित किया गया तथा एक ही वेंडर व टाईपिश्ट से लिखवाया गया है। रजिस्ट्री में मगाराम की साख है तथा ईकरारनामा में भी मगाराम की साख है। PW-1 ने जिरह में देराजराम ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा स्वीकार किया है। तनकी संख्या 01 में अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं स्वीकार किया है। PW-1 से PW-4 ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा स्वीकार किया है। तनकी संख्या 01 व 02 रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की गई है। ईकरारनामा पारिवारिक बंटवांडा था जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रेस्पोडेंट को अपने हक हिस्से की आराजी का बेचान करने का विधिक अधिकार है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है। मौजा उण्डू का नामांतकरण संख्या 28 मृतक सायबाराम के दो पुत्र श्रीराम व देवाराम के नाम स्वीकृत किया गया है। मौजा सवाऊ पदमसिंह में भी स्व. सायबाराम की भूमि थी जिसमें देराजराम का 1/4 हिस्सा था जो उपरोक्त भूमि अपीलांट को बेच दी। ईकरारनामा व रजिस्ट्री एक ही दिन निष्पादित किया गया तथा एक ही वेंडर व टाईपिष्ट से लिखवाया गया है। रजिस्ट्री में मगाराम की साख है तथा ईकरारनामा में भी मगाराम की साख है। PW-1 ने जिरह में देराजराम ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा स्वीकार किया है। तनकी संख्या 01 में अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं स्वीकार किया है। PW-1 से PW-4 ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा स्वीकार किया है। तनकी संख्या 01 व 02

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की गई है। ईकरारनामा पारिवारिक बंटवांडा था जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विस्तृत विवेचन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 135/2010 बअनवान नन्दराम बनाम देराजराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2012 को यथावत रखा जाता है।

23/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner